राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सीन अधिकारी – कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस

दमा संख्या – 93/19प्रा0पत्र

श्री भंवर सिंह S/o श्री गोपाल सिंह रजपूत निवासी - घोड़ास तहसील - मांडल
हाल निवासी नई ईरास तह० भीलवाड़ा [वकील]

–प्रार्थी

बनाम

–श्री सुमेर सिंह S/o श्री गोपाल सिंह रजपूत निवासी - घोड़ास तहसील - माण्डल
हाल निवासी नई ईरास तह० भीलवाड़ा [कौरा]
(सम्बंधित प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–125 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 28.5.19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ......घोड़ास...... पटवार हलका ......घोड़ास...... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 451, 452, 453, 454, ... कुल किता ...04... रकबा ......03...... बीघा ......14......बिस्वा स्थित है; वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी नुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ...14.5.19...... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम ....घोड़ास...... पटवार हलका......घोड़ास...... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. 451, 452, 453, 454 .... कुल किता ...04... रकबा ...03... ...... बीघा ...14.........बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक ...पीथास...... को ...... 300/-रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि – तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस मे प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल